FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

.....कोनाराम.....बनाम.....श्री लेखराज.....

एक्ट 09(13).....मुकदमा नं. 05.....सन् 2023 जीसीएमएस नम्बर .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/08/23	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री मारीदत्त तेली द्वारा विरूद्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 09(13) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक हैं। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्चे पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। । अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 21/09/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)	454 29/08/23
21/09/23	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के R/F नोटिस की रसीदें पेश की है जो संलग्न पत्रावली हो पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 26/09/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर	
26/09/23	पत्रावली पेश हुई, बकुलाय उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने रजिस्टर्ड डाक की रसीदें सहित पेश की है जो पूर्व के चालान में तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मुझे एक मौका मुकदमे का दिया जावें। वादी के खिलाफ समाप्त की गई वादी एवं पत्रावली में अवलोकन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 CPC तामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वाद संख्या 104/2017 पुनः सुनने का मंजूर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मंजूर है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर	